

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पटना।

पत्रांक- 1489
प्रेषक,

दिनांक- 14/9/24

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, पटना

सेवा में,

Sri Arvind Kumar,
Circuit House Road, Pakri,
Ara, P.S - Nawada Distt. - Bhupur

विषय :- शीर्ष 3054, नई अनुरक्षण नीति, 2018 योजना अन्तर्गत निर्मित पथ
(i) Phatehpur, Brahm Sthan - Mirchi Viasleta Paim (ii) Chiraya to
Gulhariya Jak (iii) Nakta Diyara Bichlighat to Harijan Tola पथ का सतत
अनुरक्षण के संबंध में।

प्रसंग :- ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का कार्यालय आदेश सं0-02, दिनांक-12.09.2024 एवं सहायक
अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमंडल, पटना सड़र का ज्ञापांक- 14, दिनांक-12/09/2024

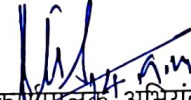
महाशय,

विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि आपके द्वारा निर्मित पथ (i) Phatehpur,
Brahm Sthan - Mirchi Viasleta Paim (ii) Chiraya to Gulhariya Jak
(iii) Nakta Diyara Bichlighat to Harijan Tola पॉच वर्षीय
अनुरक्षण अवधि के अधीन है। इस Quarter में पथ की मरम्मत/अनुरक्षण कार्य आपके द्वारा नहीं किया गया है।

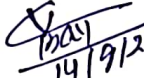
अतः कार्यहित में निदेश दिया जाता है कि 03 (तीन) दिनों के अन्दर विषयांकित पथ का अनुरक्षण
कार्य कर अधोहस्ताक्षरी को इसकी सूचना देना सुनिश्चित करें अन्यथा आपके विरुद्ध एकरारनामा की सुसंगत
कंडिकाओं के अनुरूप कार्रवाई हेतु उच्चाधिकारी को सूचित कर दिया जायेगा। जॉच दल के द्वारा त्रुटिपूर्ण कार्यों
के लिये आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

इसे अतिआवश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

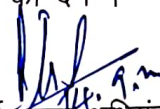

कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पटना।


14/9/24

ज्ञापांक :- 1489 पटना/दिनांक:- 14/9/24

प्रतिलिपि :- सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर प्रमंडल, पटना सड़र
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आपको निदेश दिया जाता है कि संबंधित संवेदक से विषयांकित
पथ का अनुरक्षण कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे एवं इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को देंगे।


कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पटना।


14/9/24